Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

151-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 24, 2023 (BHADRA 2, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 24th August, 2023

No. 13-HLA of 2023/153/13840.— The Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 13-HLA of 2023

THE HARYANA INSTRUMENTS (CONTROL OF NOISES) REPEAL BILL, 2023.

A

BILL

to repeal the Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Act, 2023. Short title.

2. The Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956 is hereby repealed. Repeal of Punjab Act 36 of 1956.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, the all provisions of the Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956 (Punjab Act No. 36 of 1956) are covered under the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No.29 of 1986) and Noise Pollution (Regulation and Control), Rules, 2000, which extends to the whole of India, so, there is no need to retain the Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956 (Punjab Act No. 36 of 1956) in the State anymore.

Therefore, the Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Bill, 2023 relates to repealing of the Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956 (Punjab Act No. 36 of 1956) as the same is liable to be repealed in view of the aforesaid Central Act, 1986 and Rules, 2000. Hence, the Bill.

ANIL VIJ,
Home Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 13–एच०एल०ए०

हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023
हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) अधिनियम, 1956
को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) अधिनियम, 1956, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1956 के पंजाब अधिनियम 36 का निरसन ।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं; व्यावृत्ति।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रुप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रुढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरुजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं हैं ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) के सभी प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनिमय संख्या 29) तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000, जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं, के अधीन आते हैं। इसलिए, हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसलिए, उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम, 1986 और नियम, 2000 के मध्यनजर, हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023, जो कि, हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) को निरसित करने से सम्बन्धित है, को इस विधेयक द्वारा निरसित किया जाता है । इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,
गृह मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 24 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

10557—H.V.S.—H.G.P., Pkl.